www.cbi.gov.in

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो
सूचना अनुभाग
5-बी, सी.जी.ओ. कॉम्पलैक्स लोधी रोड,
नई दिल्ली, 110003

प्रेस विज्ञप्ति
नई दिल्ली, 06.01.2017

प्राइवेट फर्म के तत्कालीन निदेशक को 15.25 लाख रू. जुर्माने सहित तीन वर्ष की कठोर कारावास

मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, एर्नाकुलम् (केरल) ने मैसर्स फीफा बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड के तत्कालीन प्रबन्ध निदेशक एवं फीफा टावर्स, कोचि के प्रोत्साहक श्री सी.ए. नज़र को 15.25 लाख रू. जुर्माने सहित 03 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई

सीबीआई ने मामला दर्ज किया जिसमें आरोप है कि श्री सी.ए. नज़र ने वर्ष 1999 के दौरान, विभिन्न व्यक्तियों के नाम पर अवैध रूप से ऋण लेने एवं ज़ाली दस्तावेजों के प्रयोग के द्वारा एल.आई.सी. हाऊसिंग फाइनेन्स लिमिटेड एर्नाकुलम् को ठगा। आरोपी ने विभिन्न व्यक्तियों के नामों पर एल.आई.सी. हाऊसिंग फाइनेन्स लिमिटेड में ज़ाली आवेदन भरें एवं एग्रीमेन्ट्स, जनरल पॉवर ऑफ एटॉर्नी, ट्राई पार्टी एग्रीमेन्ट, अथराईजेशन बाई द बारोवर, सोर्न एफीडेविट आदि मूल्यवान दस्तावेजों के सम्बन्ध में जालसाजी की। एल.आई.सी. हाऊसिंग फाइनेन्स लिमिटेड,एर्नाकुलम् ने जाली दस्तावेजों के आधार पर आरोपी को 27.09 लाख रू. की कुल राशि मंजूर व भुगतान कर दी।

विचारण अदालत ने आरोपी को कसूरवार पाया एवं उन्हे दोषी ठहराया।

****